THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) to (c) The crude oil production of ONGC during the terminal year of 8th Five Year Plan is expected to be around 44 million tonnes as against the currently estimated production of about 31.6 million tonnes in 1989-90. However, the production figure for 1994-95 is tentative at this stage and will be finalised alongwith finalisation of the 8th Five Year Plan. Similarly, the total investment would also be finalised when the Eighth Plan is finalised.

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना

*256. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना की गई है और उनके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या 1989-90 के दौरान इस राज्य में ऐसी और परियोजनाओं की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का केवल एक उद्यम अर्थात् भारत यंत्र निगम लि० स्थापित किया गया था। तथापि इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थित मौजूदा उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में कुल पूंजी निवेश बढ़ कर 3584.69 करोड़ रुपये हो गया है।

(ख) जी, नहीं। 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश मे सरकारी क्षेत्र का कोई और एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

Functioning of Telephone Adalats

*257. SHRI JOHN F. FERNANDES : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the "Telephone Adalats" are issuing orders without hearing the parties concerned;

(b) whether this situation has arisen due to the poor legal knowledge of the Chairmen of Telephone Adalats, who are basically Telecom. Engineers/Technicians; and

(c) whether Government will appoint persons from legal profession such as retired judges to avoid unnecessary litigation in the Courts ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BIR BAHADUR SINGH): (a) No Sir. The orders on subscriber complaints are given by Telephone Adalats before hand to his satisfaction or after hearing the grievances in person on the appointed date.

(b) and (c) The heads of Telephone Adalats have full knowledge of the rules relating to Telecommunications services. Appointment of persons from legal profession is, therefore, not considered necessary.

Dispute on recovery on Gentamycin and Rifampicin

*258. SHRI ASHOK NATH VERMA:
DR. (SMT.) SAROJINI MAHISHI:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2010 given in the Rajya Sabha on the 28th November, 1988 and state:

(a) what are the areas of dispute between the Government and the formulators of Gentamycin and Rifampicin who are to pay into the Drug Price Equalisation Account;

(b) whether the disputes are relevant to para 7 and 17 of the DPCO, 1979;

(c) since when these disputes have been pending for decision; and

(d) what is the present position in regard thereto ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) The following pleas, which have direct bearing on the assessment of amount recoverable under para 7 of DPCO, 1979, have been made on behalf of the formulators:

(i) rise in prices of the drug subsequent to 1984 was not taken into account.

(ii) fall in prices were already passed on to the consumers by selling the formulations at lower prices.

(iii) set-off to be allowed for the losses incurred due to non-revision of prices for a quite long time.

(iv) set-off to be given for the increase in prices of packing materials etc.

(v) the vires of para 7 of DPCO, 1979 is challenged.

(c) and (d) The pleas referred to in (a) & (b) were made from time to time during the last few years. It has been decided to refer this matter to a high powered committee.

सवाई माधोपुर (राजस्थान) सीमेंट कारखाने को पुनः शुरू करने के लिए सहायता

*259. **डा० अबरार अहमद खान:**
श्री भंवर लाल पंवार:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान मे सवाई माधोपुर मे काफी लम्बे अर्से से बन्द पड़े सीमेंट कारखाने को शुरू करने के लिए राजस्थान राज्य को कोई निर्देश दिया है तथा उसे कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) क्या इस कारखाने के बन्द हो जाने के कारण केन्द्रीय सरकार को भी कर राजस्व की भारी धनराशि की हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिये जाने पर कार्यशील पूंजी सुविधा प्रदान की गयी थी। किंतु बैंक के संचालन गारंटी का नवीकरण न करने के कारण 1.7.88 से बद कर दिये गये हैं। राज्य सरकार तथा कंपनी से प्राप्त पत्र के आधार पर औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) ने पुनर्वास स्कीम तैयार करने के लिए संचालन एजेंसी के रूप मे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई. आर. बी. आई.) की नियुक्ति की। मामले के सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने के बाद बोर्ड की विशेष बैंच, 30 जनवरी, 1989 को हुई अपनी अंतिम सुनवाई में प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जयपुर उद्योग लिमिटेड की रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अधीन जीव्यक्षम नहीं बनाया जा सकता और यह न्याय संगत और उचित है कि इसे बंद कर दिया जाए। सभी संबंधित से सुझाव/विचार/आपत्तियां मागने हेतु एक कारण बताओ नोटिस सुनवाई की अगली तारीख 5.4.89 निर्धारित करने हेतु तदनुसार आदेश कर दिये गये हैं।

(ख) और (ग) इस फैक्ट्री द्वारा पहले अदा किया जा रहा औसत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 12 करोड़ रुपये वार्षिक था। इस आधार पर और वर्ष 1986-87 से 1988-89 (28.2.89) में इस फैक्ट्री द्वारा अदा किया गया वास्तविक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर विचार करते हुए पिछले तीन वर्षों में इस एकक के बारे मे उत्पादन न होने के कारण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अनुमानित क्षति इस प्रकार है:—

वर्ष	शुल्क की हानि अनुमानित (रु० करोड़ में)
1986-87	0.50
1987-88	10.42
1988-89 (28 2.89 तक)	11.12